समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल, म.प्र. बेंच भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.) राजस्व अपील क्रं.

R.1645. III

गोविंद सिंह लोधी आय् 46 वर्ष, आ. श्री ग्यारसी लोधी, निवासी-ग्राम नयाखेडा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.)



अपीलार्थी/ अनावेदक

ਰਿਨਫ਼

गोधन सिंह लोधी, आयु वयस्क, आ. श्री छोटेलाल लोधी, निवासी-ग्राम झिरियामाता, तहसील गांडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)



QL-035210265

घसीटा लोधी, आयु वयस्क,

र्फ पोस्ट हारा आज्ञा. श्री धनिया लोधी, हिंगाम 2-6-12 के प्राप्त श्रीमती मथरिया बाई लोधी, आयु वयस्क, पत्नि श्री ठुन्नीलाल लोघी,

प्रत्यर्थी क्रं 2 व 3 नि.-ग्राम नयाखेडा,

तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.)

बुधियाबाई लोधी, आयु वयस्क, पुत्री श्री नारायण सिंह लोधी, निवासी- ग्राम रमपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.)

- उत्तरदातागण/आवेदकगण

अपील अन्तर्गत धारा ४४ म.प्र. भू राजस्व संहिता

यह अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 347/अपील/2005–06 गोधन सिंह बनाम गोविंद सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 03.08.2011 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

R.1645.II/12

अनुपालिक अभिमाष्ट्र स्ट्रिंग उपरोत्त अनुपालिक किन नार पुरार लगना जी जारी किन भी केन अनुपालिक के किरहा अदम परित भी स्वारिज विस्रा जाता है। किर्